रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/पौष 14, 1938
No. 05] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

सा.का.नि. 5 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और उपमहानिदेशक (समूह 'क') भर्ती नियम, 2002 और महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय कौशल विकास सेवा नियम, 2017 है।

2. ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**.- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) **"आयोग"** से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) **"नियंत्रक प्राधिकारी"** से भारत सरकार का कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय अभिप्रेत है ;

(ग) **"विभागीय अभ्यर्थी"** से निम्नलिखित नियमों के अधीन नियुक्त किए गए ऐसे सभी विद्यमान अधिकारी जो समूह 'क' पद धारण किए हुए हैं, अभिप्रेत है —

(i) उप महानिदेशक (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2002; या

(ii) प्रशिक्षण निदेशालय (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2011,

और इसके अन्तर्गत ऐसे अधिकारी भी सम्मिलित होंगे जो उक्त नियमों के अधीन पदों पर नियमित रूप से नियुक्त किए गए हैं, किन्तु जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

(घ) **"विभागीय प्रोन्नति समिति"** से इन नियमों के अधीन किसी ग्रेड में अधिकारियों की प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए गठित समिति अभिप्रेत है ;

(ङ) **"ड्यूटी पद"** से अनुसूची I में सम्मिलित कोई भी पद अभिप्रेत है ;

(च) **"ग्रेड"** से अनुसूची 1 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट कोई ग्रेड अभिप्रेत है ;

(छ) किसी ग्रेड के संबंध में, **"नियमित सेवा"** से उस ग्रेड में इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व या उनके पश्चात की गई अनुमोदित सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत ऐसी कोई अवधि या अवधियां भी हैं :-

(i) जिन पर ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में जिन्हें प्रारंभिक गठन के समय नियुक्त किया गया था, ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए विचार किया जाएगा; और

(ii) जिनके दौरान कोई अधिकारी उस ग्रेड में ड्यूटी पद धारण करता है किंतु जो छुट्टी पर रहने के कारण या अन्यथा उस पद को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं था ;

(ज) **"अनुसूची"** से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(झ) **"सेवा"** से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय कौशल विकास सेवा अभिप्रेत है ।

3. **भारतीय कौशल विकास सेवा का गठन** :-- (1) भारतीय कौशल विकास सेवा के रूप में ज्ञात की जाने वाली एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें नियम 5 में विनिर्दिष्ट सदस्य होंगे ।

(2) सेवा में सम्मिलित सभी पद समूह ('क') पदों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

4. **ग्रेड, प्राधिकृत संख्या और उसका पुनर्विलोकन** :-- (1) इन नियमों के प्रारंभ पर सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित ड्यूटी पद, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची I में विनिर्दिष्ट हैं:

परन्तु अनुसूची I में वर्णित किसी विशिष्ट ग्रेड में सम्मिलित किसी ड्यूटी पद की एक दूसरे के साथ अदला-बदली हो सकेगी।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों की प्राधिकृत संख्या वह होगी जो समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाये।

(3) केंद्रीय सरकार, समय-समय पर और आयोग से परामर्श करके अनुसूची I में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी।

(4) केंद्रीय सरकार, समय-समय पर और आयोग से परामर्श करके ऐसे किसी अधिकारी को जिसका पद उपनियम (3) के अधीन सेवा में सम्मिलित है, किसी अस्थायी हैसियत में या किसी अधिष्ठायी हैसियत में जो वह ठीक समझे, सेवा के समुचित ग्रेड में नियुक्त कर सकेगी और उस सदृश ग्रेड में उसकी निरंतर सेवा पर विचार करने के पश्चात उस ग्रेड में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी।

5. **सेवा के सदस्य** :-- (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात :--

(क) ऐसे व्यक्ति जिन्हें नियम 6 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किया गया है ; और

(ख) ऐसे व्यक्ति जिन्हें नियम 4 के उपनियम (4) और (7) के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किया गया है ।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची I में उस पर लागू तत्समान ग्रेड में सेवा का सदस्य माना जाएगा ।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति उक्त नियुक्ति की तारीख से अनुसूची I में उस पर लागू तत्समान ग्रेड में कार्य करते हुए सेवा का सदस्य होगा ।

6. **सेवा का प्रारंभिक गठन** :-- इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर विभिन्न ग्रेडों में समूह "क" पद धारण करने वाले सभी विद्यमान विभागीय अभ्यर्थियों को तत्समान ड्यूटी पदों पर और यथास्थिति, किसी अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत में सेवा के ग्रेड में नियुक्त किया गया माना जाएगा ।

7. **सेवा का भावी अनुरक्षण** :- इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात अनुसूची I में निर्दिष्ट किसी भी ग्रेड में किसी रिक्ति को निम्नलिखित रीति में भरा जाएगा :--

(क) सेवा के विभिन्न ग्रेडों के लिए नियुक्तियां, भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति के क्षेत्र, अगले निम्नतर ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और अन्य पात्रता शर्तों के अनुसार की जाएंगी ;

(ख) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन अनुसूची 3 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नती समिति की सिफारिश पर किया जाएगा ;

(ग) सेवा के कनिष्ठ वेतनमान (सहायक निदेशक) में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु-सीमा वह होगी जो अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट है।

8. **परिवीक्षा** : (1) सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगा :

परन्तु नियंत्रक प्रधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकेगा :

परन्तु यह और कि परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का विनिश्चय साधारणतया परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति के पश्चात आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों सहित संबंधित अधिकारी को लिखित रूप में संसूचित कर दिया जाएगा।

(2) परिवीक्षा या उसकी बढ़ाई गई कोई अवधि पूरा करने पर किसी अधिकारी को, यदि उसे स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, नियमित आधार पर उसकी नियुक्ति में प्रतिधारित किया जाएगा और सम्यक् अनुक्रम में उपलब्ध अधिष्ठायी रिक्ति पर उसकी पुष्टि कर दी जाएगी।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा या उसकी बढ़ाई गई किसी अवधि के दौरान केंद्रीय सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो केंद्रीय सरकार द्वारा उसके कोई कारण बताए बिना - (क) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किय गया था, तो उसे उस पद पर सेवा से उन्मुक्त किया जाये ; और (ख) यदि वह प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया था, तो उसे प्रोन्नति कि ठीक पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित किया जाये।

(4) परिवीक्षा या उसकी बढ़ाई गई किसी अवधि के दौरान अधिकारी से ऐसे प्रशिक्षण पाठयक्रम और अनुदेश प्राप्त करने तथा ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण उत्तीण करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो केंद्रीय सरकार परिवीक्षा के समाधान-प्रद रूप में पूरा करने की शर्त के रूप में आवश्यक समझे।

(5) उपनियम (1) से (4) के अधीन सेवा के सदस्यों की परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामले इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों से शासित होंगे।

9. **ज्येष्ठता** : (1) नियम 6 के अधीन सेवा के प्रारंभिक गठन पर अनुसूची I में वर्णित विभिन्न ग्रेडों में नियुक्त अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, नियम 2 के खण्ड (ग) के वर्णित नियमों के अधीन भर्ती किए गए अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता के संबंधित ग्रेडों में अनुरक्षण के अधीन रहते हुए उस ग्रेड में नियमित निरंतर सेवा की समयावधि के अनुसार किया जाएगा;

(2) प्रारंभिक गठन के समय नियुक्त अधिकारी बाद में नियुक्त सभी अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे;

(3) प्रारंभिक गठन के पश्चात सेवा में नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 22011/7/86-स्था. तारीख 3 जुलाई, 1986 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएगी;

(4) नियम 4 के उप-नियम (4) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता इन नियमों में उपबंधित रीति में नियत की जाएगी;

(5) ऐसे अधिकारियों की ज्येष्ठता जो इस नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(6) यदि इस नियम के अधीन ज्येष्ठता नियत किए जाने की दशा में कोई कठिनाई या विसंगति पैदा हो जाती हो तो उसका अवधारण केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

10. **सेवा में नियुक्ति**:-- सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सभी पदों के लिए सेवा की सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्रधिकारी द्वारा की जाएंगी। 'प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)' के मामलों में आयोग का परामर्श आवश्यक होगा।

11. **भारत के किसी भी भाग में सेवा के लिए दायित्व और अन्य शर्तें** :-- (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने के दायित्वाधीन होगा ।

(2) ऐसे मामलों के संबंध में जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें वह होंगी, जो साधारणतया समय-समय पर केंद्रीय सिविल-सेवा के अधिकारियों को लागू होती हैं ।

12. **निरर्हताएं** :--

वह व्यक्ति :--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

13. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

14. **व्यावृत्ति** :--

इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

15. **अवशिष्टिय मामले** :--

ऐसे मामलों की बाबत जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों से शासित होंगे जो साधारणतया केंद्रीय सिविल सेवाओं या समतुल्य पदों पर लागू होते हैं ।

16. **निर्वचन** :--

यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न पैदा होता है तो वह केंद्रीय सरकार को निदेशित किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी ।

अनुसूची I

(नियम 2 (ड.), 4 (1), 3; 7 (1) और 9 (1) देखिए)

भारतीय कौशल विकास सेवा (समूह 'क') के विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों के नाम, संख्या और वेतनमान

क्र. सं.	श्रेणी	श्रेणी को सम्मिलित करते हुए ड्युटी पदों के नाम	ड्युटी पदों की संख्या	वेतन मैट्रिक स्तर
1	2	3	4	5
1.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	उप महानिदेशक	3	14 (रु. 1,44,200-2,18,200)

2.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी	निदेशक	28	13 (रु. 1,18,500-2,14,200)
3.	ज्येष्ठ वेतनमान (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	संयुक्त निदेशक	23@	12 (रु. 78,800-2,09,200)
4.	ज्येष्ठ वेतनमान	उप निदेशक	97	11 (रु. 67,700-2,08,200)
5.	कनिष्ठ वेतनमान	सहायक निदेशक	112	10 (रु. 56,100-1,77,500)

@ ज्येष्ठ वेतनमान (अकृत्यिक चयन श्रेणी) में पदों की संख्या ज्येष्ठ ड्यूटी पदों का 15% होगी, अर्थात् ज्येष्ठ वेतनमान में पदों की संख्या कैडर में ज्येष्ठ वेतनमान या उपर का सीमित होगा। तथापि, कैडर की समग्र क्षमता में कोई वृद्धि नहीं होगी।

अनुसूची – 2

[नियम 7 (1) (क) देखिए]

भारतीय कौशल विकास सेवा (समूह 'क') के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित ड्यूटी पदों पर, यथास्थिति, प्रतिनियुक्ति पर प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नती का क्षेत्र, अगले निम्नतर ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा और अन्य पात्रता शर्तें :

क्र. सं.	श्रेणी वेतन मैट्रिक्स स्तर	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन मैट्रिक्स स्तर-14 (रु. 1,44,200-2,18,200)	प्रोन्नति द्वारा	नियुक्ति के बाद तत्संबंधी ग्रेड में 03 वर्षों की नियमित सेवाओं के साथ भारतीय कौशल विकास सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी का अधिकारी ।
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन मैट्रिक्स स्तर-13 (रु. 1,18,500-2,14,200)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा	**<u>प्रोन्नति:</u>** श्रेणी में 05 वर्षों की नियमित सेवाओं के साथ ज्येष्ठ वेतनमान अधिकारी (अकृत्यिक चयन श्रेणी)। **<u>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी):</u>** केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्द्ध-सरकारी संगठन/स्वायत्त एवं कानूनी संगठन/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तत्संबंधी ग्रेड में 05 वर्षों की सेवा की है। (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है: **<u>आवश्यक:</u>** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी की उपयुक्त शाखा में डिग्री (वास्तविक विषय-शाखा प्रत्येक भर्ती के समय पर इंगित की जाएगी): (ii) उत्पादन या अनुरक्षण या सेवा या अध्यापन में पर्यवेक्षक के पद पर 12 वर्षों का अनुभव साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान में 02 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव। **<u>वांछनीय:</u>**

			(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य (ii) पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का ज्ञान। **टिप्पण 1:** "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (सातवां वेतन आयोग) वाले पद पर प्रोन्नति उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर होगी जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 और 12 (सातवां वेतन आयोग) में 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर होगी जिसमें से 3 वर्ष की नियमित सेवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (सातवां वेतन आयोग) में की गई होनी चाहिए यह केवल उन पदधारियों के लागू होगा जो इन सेवा नियमों की अधिसूचना की तारीख के वेतन मैट्रिक्स 11 और 12 (सातवां वेतन आयोग) सेवा पद (पदों) को धारण करते है" **टिप्पण 2:** फीडर प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो सीधी परम्परा में प्रोन्नति पाने के पात्र हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार से, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** केंद्रीय सरकार के एक ही संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 05 वर्षों से अधिक नहीं होगी।
3.	ज्येष्ठ वेतनमान (एनएफएसजी) वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 78,800-2,09,200)	प्रोन्नति द्वारा	नियुक्ति के बाद तत्संबंधी ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवाओं के साथ ज्येष्ठ वेतनमान अधिकारी
4.	ज्येष्ठ वेतनमान वेतन मैट्रिक्स स्तर-11 (रु. 67,700-2,08,200)	66.7% प्रोन्नति के द्वारा 33% प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) के द्वारा	प्रोन्नती : कनिष्ठ वेतनमान धारण करने वाले अधिकारी जिन्होंने नियुक्ति के बाद तत्संबंधी ग्रेड में 05 वर्षों की नियमित सेवा की है। **प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी)**:- केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्द्ध-सरकारी संगठन/स्वायत्त एवं कानूनी संगठन/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं;या (ii) वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (7वां सीपीसी) पर नियुक्ति के पश्चात् तत्संबंधी ग्रेड में 05 वर्षों की सेवा की है, (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : **आवश्यक** : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी की उपयुक्त शाखा में डिग्री (वास्तविक विषय-शाखा प्रत्येक भर्ती के समय पर इंगित की जाएगी)। (ii) उत्पादन या अनुरक्षण या सेवा या अध्यापन में पर्यवेक्षक

			के पद पर 05 वर्षों का अनुभव साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान में 02 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव। **वांछनीय**:- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य। (ख) पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का ज्ञान। **टिप्पण 1** : फीडर प्रवर्ग में ऐसे विभागीय अधिकारी जो सीधी परंपरा में प्रोन्नति पाने के लिए पात्र हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार से, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** केंद्रीय सरकार के एक ही संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 04 वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5.	कनिष्ठ वेतनमान वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (रु. 56,100-1,77,500)	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा, (जिसमें 30% पद ऐसे अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिनके पास डिग्री है और 20% पद ऐसे अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे जिनके पास डिप्लोमा या अन्य अर्हता है ; (ii) 50% सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे।	प्रशिणार्थी अधिकारी वेतन मैट्रिक्स 7 जिन्होंने नियुक्ति के बाद नियमित आधार पर तत्संबंधी ग्रेड में 03 वर्षों की सेवा की है और उनके पास (क) कम से कम राष्ट्रीय प्रमाण पत्र या शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र के साथ उपयुक्त व्यवसाय में राष्ट्रीय उद्यमशीलता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र या व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी समतुल्य प्रमाण पत्र है ; या (ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय उद्यमशीलता प्रमाण पत्र के समतुल्य प्रमाण पत्र है।

अनुसूची – 3

[नियम 7 (1) (ख) देखिए]

भारतीय कौशल विकास सेवा (समूह 'क') के विभिन्न श्रेणियों में प्रोन्नति मामलों में पुष्टि के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नत समिति का संगठन

क्र. सं.	**पद का नाम**	**समूह 'क' वि. प्रो. समि. (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)**	**समूह "क" वि. प्रो. समि. (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)**
1.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन मैट्रिक्स स्तर-14	1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, भारतीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – सदस्य 3. अपर सचिव, भारतीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – सदस्य	लागू नहीं

2.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी वेतन मैट्रिक्स स्तर-13	1. अध्यक्ष/सदस्य - अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग-अध्यक्ष 2. सचिव, भारतीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – सदस्य 3. महानिदेशक/संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य	लागू नहीं
3.	ज्येष्ठ वेतनमान (एनएफएसजी) वेतन मैट्रिक्स स्तर-12	1. सचिव, भारतीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – अध्यक्ष 2. महानिदेशक/संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य 3. उप महानिदेशक (प्रशिक्षण)/निदेशक (प्रशिक्षण), निदेशालय, प्रशिक्षण निदेशालय-सदस्य	लागू नहीं
4.	ज्येष्ठ वेतनमान वेतन मैट्रिक्स स्तर-11	1. विशेष सचिव/अपर सचिव, भारतीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – अध्यक्ष 2. महानिदेशक/संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य 3. उप महानिदेशक (प्रशिक्षण)/निदेशक (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य 4. उप महानिदेशक (शिक्षुता प्रशिक्षण), प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य 5. निदेशक (प्रशा.)/उप सचिव, प्रशिक्षण महा निदेशालय - सदस्य	लागू नहीं
5.	कनिष्ठ वेतनमान वेतन मैट्रिक्स स्तर-10	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय-सदस्य 3. महानिदेशक/संयुक्त सचिव, प्रशिक्षण निदेशालय - सदस्य 4. उप महानिदेशक (प्रशिक्षण)/निदेशक (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण महानिदेशालय – सदस्य 5. उप महानिदेशक (शिक्षुता प्रशिक्षण), निदेशक (शिक्षुता), शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय - सदस्य	1. संयुक्त सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय – अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय - सदस्य 3. उप महानिदेशक प्रशिक्षण/निदेशक (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण निदेशालय-सदस्य 4. उप महानिदेशक (शिक्षुता प्रशिक्षण), निदेशक (शिक्षुता) शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय-सदस्य

अनुसूची-4

[नियम 7 का उपनियम (4) देखिए]

भारतीय कौशल विकास मंत्रालय के कनिष्ठ वेतनमान में सीधी भर्ती के लिए उम्र और न्यूनतम योग्यता और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु सीमा :

(क) आयु सीमा – परीक्षा के वर्ष 1 जनवरी को 21-30 वर्ष

(समय-समय पर डीओपीटी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक्त निःशक्त और सरकारी सेवकों को छूट)

शैक्षणिक अर्हताः

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में डिग्री।

[फा. सं. डीजीटी-ए-61012/1/2015-प्रशा. II]

आशीष शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2017

G.S.R. 5(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in Supersession of the Deputy Director General (Group 'A') Recruitment Rules, 2002 and the Directorate General of Training (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement:–** (1) These rules may be called the Indian Skill Development Service Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition.-**In these rules, unless the context otherwise requires,

   (a) **"Commission"** means the Union Public Service Commission;

   (b) **"Controlling Authority"** means the Government of India in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship;

   (c) **"departmental candidates"** means all the existing officers holding Group 'A' posts appointed under–

   (i) The Deputy Director General (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2002; or

   (ii) The Directorate of Training (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2011;

   and include officers appointed on regular basis to the posts under the said rules but are on deputation to other Departments on the date of commencement of these rules;

   (d) **"Department Promotion Committee"** means a Committee constituted to consider promotion and confirmation of officers in any grade under these rules;

   (e) **"duty post"** means any post included in the First Schedule;

   (f) **"Grade"** means a Grade specified in column 2 of the First Schedule;

   (g) **"regular service"** in relation to any Grade means the period or periods of service in that Grade rendered after the commencement of these rules and includes any period or periods -

   (i) taken into account for the purpose of seniority in case of those appointed at the initial constitution; and

   (ii) during which an officer would have held a duty post in that Grade but for being on leave or otherwise not available to hold such post;

   (h) **"Schedule"** means a Schedule appended to these rules;

   (i) **"Service"** means the Indian Skill Development Service constituted under rule 3.

3. **Constitution of Indian Skill Development Service. –** (1) There shall be constituted a Service to be known as the Indian Skill Development Service consisting of members specified in rule 5.

   (2) All the posts included in the Service shall be classified as Group 'A' posts.

4. **Grades, authorised strength and its review. –** (1) The duty posts included in the various Grades of the Service, their number and the scales of pay on the commencement of these rules, shall be as specified in the First Schedule:

   Provided that a duty post included in a particular Grade as mentioned in the First Schedule shall be interchangeable with one another.

(2) After the commencement of these rules, the authorised strength of the duty posts in various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Central Government.

(3) Central Government may, in consultation with the Commission, include in the Service such posts as can be deemed to be equivalent in status, pay band and Grade pay or pay scale to the posts included in First Schedule or exclude from the service a duty post included in the said Schedule.

(4) The Central Government may, from time to time and in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post whose post is included in the Service under sub-rule (3), to the appropriate Grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity as it thinks fit and fix his seniority in that Grade after taking into account his continuous regular service in the analogous Grade.

5. Member of Service. – (1) The following persons shall be the members of the Service, namely:-

(a) persons appointed to duty posts under rule 6; and

(b) persons appointed to duty posts under sub-rule (4) of rule 4 and rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall on such appointment be deemed to be the member of the Service in the corresponding Grade, applicable to as specified him in the First Schedule.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be a member of the Service in the corresponding Grade applicable to him as specified in the First Schedule from the date of such appointment.

6. **Initial constitution of Service. –** All the existing departmental candidates holding Group 'A' posts in various Grades on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to be appointed to the corresponding duty posts and the Grade of the Service in a substantive or officiating capacity, as the case may be.

7. **Future maintenance of Service.-** Any vacancy in any of the Grades referred to in the First Schedule after the commencement of these rules shall be filled in following manner namely:–

(a) appointments to various Grades of the Service shall be made in accordance with the method of recruitment, the field of promotion, the minimum qualifying service in the next lower Grade and other eligibility conditions for appointment by promotion or transfer on deputation, as the case may be, as specified in the Second Schedule.

(b) The selection of officers for promotion shall be made on the recommendation of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with the Third Schedule;

(c) The educational and other qualifications, experience and age limits for appointment by direct recruitment to Junior Time Scale (Assistant Director) of the Service shall as specified in the Fourth Schedule.

8. **Probation.–** (1) Every officer appointed to the Service either by direct recruitment or by promotion in Junior Scale shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the period of probation and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, the officer shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in his appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Central Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Central Government without any reason being assigned, may –

(a) If he was appointed by direct recruitment discharge him from Service in that post;

(b) If he was appointed by promotion revert him to the post held by him immediately before such promotion.

(4) During the period of probation or any extension thereof, the officer may be required to undergo such courses of training and instructions and pass such examinations and tests as the Central Government may consider necessary as a condition to the satisfactory completion of probation.

(5) Subject to sub-rules (1) to (4), the other matters relating to probation of the members of the Service shall be governed by the instructions issued by the Central Government from time to time in this regard.

9. Seniority. – The inter-se seniority of the officers appointed to the various Grades mentioned in the First Schedule at the initial constitution of the Service under rule 6, shall be determined according to the length of regular continuous service in the Grade subject to maintenance in the respective Grades of inter-se seniority of officers recruited under the rules mentioned in clause 1 of rule 2;

(2) Officers appointed at the initial constitution shall be senior to those appointed subsequently.

(3) The seniority of the officers appointed to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the provisions contained in the Department of Personnel and Training O.M. No. 22011/7/86/Estt., Dated the 3rd July, 1986 as amended from time to time.

(4) The seniority of officers appointed under sub-rule (4) of rule 4 shall be fixed in the manner provided in these rules.

(5) The seniority of officers not covered under this rule, shall be determined by Central Government in consultation with the Commission.

(6) In case the fixation of the seniority under this rule results in difficulties or anomalies, the same shall be determined by the Central Government in consultation with the Commission.

10. **Appointment to Service. –** All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority for all the posts in various Grades of the Service and in case of 'Deputation (ISTC)', consultation with the Commission shall be necessary.

11. Liability for service in any part of India and other conditions of service. – (1) The officers appointed to the Service shall be liable to serve any where in India or outside.

(2) The conditions of service of the members of the Service, in respect of matters for which no provision is made in these rules, shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of Central Civil Service in general.

12. **Disqualification:**– No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. **Power to relax.**– where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions to these rules with respect to any class or category of persons.

14. **Saving.**– Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

15. **Residuary matters:**– In regard to matters not specifically covered by these rules, the members of the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable to the Central Civil Services or equivalent posts in general.

16. **Interpretation:**– If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

FIRST SCHEDULE

[See Rules 2 (g); 4 (1), (3); 7 (1) and 9 (1)]

Name, Number and scale of pay of duty posts included in the various grades of the

Indian Skill Development (Group 'A') Service

Sl. No.	Grade	Name of the duty Posts included in the Grade	Number of duty posts	Pay Matrix (As per 7th CPC)
1	2	3	4	5
1.	Senior Administrative Grade	Deputy Director General	3	Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)
2.	Junior Administrative Grade	Director	28	Level-13 (Rs.1,18,500-2,14,200)
3.	Senior Time Scale (Non-Functional Selection Grade)	Joint Director	23@	Level-12 (Rs.78,800-2,09,200
4.	Senior Time Scale	Deputy Director	97	Level-11 (Rs.67,700-2,08,200)

5.	Junior Time Scale	Assistant Director	112	Level-10 (Rs. 56100-1,77,500)

@ The number of posts in Senior Time Scale (Non Functional Selection Grade) shall be 15% of the Senior duty posts i.e. at the level Senior Time Scale and above in the Cadre, limited to the number of posts in the Senior Time Scale. However, there shall be no increase in the overall strength of the Cadre.

SECOND SCHEDULE

[See Rule 7(1) (a)]

Method of recruitment, field of promotion, minimum qualifying service in the next lower grade and other eligibility conditions for appointment of officers by promotion/transfer on deputation , as the case may be, to duty posts included in the various grades of the Indian Skill Development (Group 'A') Service .

Sl. No	Grade Pay Matrix level	Method of Recruitment	Field of Selection and minimum qualifying service for promotion
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Senior Administrative Grade Pay Matrix Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)	By Promotion	Junior Administrative Grade Officers of the Indian Skill Service with three years regular service rendered in the grade after appointment thereto
2	Junior Administrative Grade Pay Matrix Level-13 (Rs.1,18,500-2,14,200)	By Promotion failing which by Deputation (ISTC)	**Promotion:** Senior Time Scale Officers (NFSG) with 5 years' regular service rendered in the grade. Deputation(ISTC) : Officers under the Central Government/State Governments/ Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi-Govt. organisations/autonomous and statutory organisations/recognized universities/institutes: (a)(i) Holding analogous posts, or (ii) With 5 years' service rendered in the grade after appointment thereto on regular basis in Pay matrix Level-12 (b) Possessing the following educational qualifications and experience : **Essential:-** (i) A degree in the appropriate branch of engineering of a recognized university or institute (the exact discipline shall be indicated at the time of each recruitment): (ii) Twelve years' experience in a supervisory capacity in production or maintenance or servicing or teaching in a recognised technical institutes including two years administrative experience. **Desirable :** (i) Master's degree in engineering or technology from a recognised university or institute. (ii) Knowledge of preparation of syllabi teaching aida , training material. **Note 1:** Promotion to the post carrying the Pay Matrix Level -12 (7th CPC) upon completion of 5 years regular service in the grade, failing which the promotion shall be made upon completion of 10 years regular service in the Pay Matrix Level 11 and 12 (7th CPC), out of which 3 years of regular service should have been rendered in Pay Matrix Level-12 (7th CPC) This shall be

			applicable only to the incumbents who are occupying the Service post(s) in the Pay Matrix 11 and 12 (7th CPC) as on the date of notification of these Service rules” **Note 2** The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment of promotion. **Note 3**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.
3.	Senior Time Grade (NFSG) Pay Matrix Level-12 (Rs.67,700-2,08,200)	By Promotion	Senior Time Scale Officers with 5 years regular service rendered in the grade after appointment thereto
4.	Senior Time Scale Pay Matrix Level-11 (Rs.67,700-2,08,200)	66.7% by promotion 33.3 % by Deputation (ISTC)	**Promotion**: Junior Time Scale Offices with 5 years’ regular service rendered in the grade after appointment thereto. **Deputation** (ISTC): Officers under the Central Government/State Governments /Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi-Govt. organisations /autonomous and statutory organisations/recognized universities/institutes: (a)(i) Holding analogous posts or (ii) With 5 years’ service rendered in the grade after appointment there-to on regular basis in Pay Matrix Level-10 (7th CPC) (b) Possessing the following educational qualification and experience **Essential:** (i) A degree in the appropriate branch, engineering of a recognised university or institute (the exact discipline shall be indicated at the time of each recruitment). (ii) Five years’ experience in a supervisory capacity in production or maintenance or servicing or teaching or training in a recognised technical institute including two year’s administrative experience. **Desirable:-** (a) Master’s degree in engineering or technology from a recognised university or institute. (b) Knowledge of preparation of syllabi, teaching aids, training material. **Note 1:** The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on

			deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment or promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.
5.	Junior Time Scale Pay Matrix Level-10 (Rs. 56100-1,77,500)	(i) 50% by Promotion (of which 30 %) from candidates having degree and 20% from candidates having Diploma and other qualifications (ii) 50% by Direct Recruitment	**Promotion** : Training Officer in Pay Matrix 7 with three years' regular service rendered in the grade after appointment thereto on regular basis and possessing :- (a) National Trade Certificate of National Apprenticeship Certificate in appropriate Trade with Craft Instructor Certificate or National Craft Instructor Certificate or equivalent certificate issued by the National Council for Vocational Training .Or b) A degree from a recognised university with National Certificate or National Apprenticeship Certificate

NOTE : Where juniors who have completed their qualifying /or eligibility service are being considered for promotion , their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

THIRD SCHEDULE

[See rule 7 (1) (b)]

PART 'A'

Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion confirmation to various grades of the Indian Skill Development (Group 'A') Service

Sl. No.	**Name of Duty Post**	**Group 'A' DPC (for considering promotion)**	**Group 'A' DPC (for considering confirmation)**
1.	Senior Administrative Grade Pay Matrix Level-14 (Rs.1,44,200-2,18,200)	1. Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship) – Member 3. Additional Secretary (Ministry of Skill Development & Entrepreneurship) – Member	Not Applicable
2.	Junior Administrative Grade Pay Matrix Level-13 (Rs.1,18,500-2,14,200)	1. Chairman/Member, Union Public Service Commission – Chairman 2. Secretary, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship – Member 3. Director General/Joint Secretary, Directorate General of Training – Member	Not Applicable
3.	Senior Time Scale (NFSG) Pay Matrix Level-12 (Rs.78,800-2,09,200)	1. Secretary, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship – Chairman 2. Director General/Joint Secretary, Directorate General of Training – Member 3. Deputy Director General of Training/Director of Training, Directorate-General of Training –Member	Not Applicable

4.	Senior Time Scale Pay Matrix Level-11 (Rs.67,700-2,08,200)	1. Special Secretary/Additional Secretary, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship – Chairman 2. Director General/Joint Secretary, Directorate General of Training – Member 3. Deputy Director General (Training)/Director of Training, Directorate General of Training – Member 4. Deputy Director General (Apprenticeship Training)/Director of Apprenticeship Training, Directorate General of Training – Member 5. Director/Deputy Secretary (Admn.), Directorate General of Training – Member	Not Applicable
5.	Junior Time Scale Pay Matrix Level-10 (Rs. 56100-1,77,500)	1. Chairman/Member of Union Public Service Commission – Chairman 2. Secretary , Ministry of Skill Development & Entrepreneurship – Member 3. Director General/Joint Secretary, Directorate General of Training –Member 4. Deputy Director General (Training)/Director of Training, Directorate General of Training – Member 5. Deputy Director General (Apprenticeship Training/Director of Apprenticeship Training, Directorate General of Training) - Member	1.Joint Secretary, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship - Chairman 2.Director/Deputy Secretary (Admn.), Ministry of Skill Development & Entrepreneurship - Member 3.Deputy Director General (Training)/Director of Training, Directorate General of Training – Member 4. Deputy Director General (Apprenticeship Training/Director of Apprenticeship Training, Directorate General of Training) - Member

FOURTH SCHEDULE

[See sub-rule (4) of rule 7]

Age and minimum educational and other qualification, experience and age limit for direct recruitment in the Junior Time Scale of the Indian Skill Development Service.

(a) Age Limit – 21-30 years as on 1st January of the year of Examination.
(Relaxable for Schedule Castes and Schedule Tribes ,Other Backward Classes ,Physically Handicapped and Government Servants as per instructions issued by DoPT from time to time)
Educational qualifications:
(i) A Degree in Engineering or Technology from a recognised university or institute.

[F. No. DGT-A-61012/1/2015-Adm.II]

ASHEESH SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.01.05 17:51:30 +05'30'